न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 48 / 2019

अपीलांट – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

श्रीमती धापूदेवी पत्नी पीराराम
जाति जाट निवासी धतरवालों
की ढाणी, खुबड़ी बेरी, आडेल,
तहसील सिणधरी जिला
बाड़मेर

1. नायब तहसीलदार बाड़मेर
2. पदमाराम पुत्र जीयाराम
3. सोनाराम पुत्र जीयाराम
4. गुणेशाराम पुत्र जीयाराम
5. चतरू पुत्री जीयाराम
6. जोगाराम पुत्र मेहराराम
7. उदाराम पुत्र मेहराराम
   जाति जाट निवासी हरियाला मगरा (विशाला आगोर) तहसील व जिला बाड़मेर
8. कमला पत्नी डूंगरसिंह जाति जाट निवासी हरियाला मगरा तहसील व जिला बाड़मेर
9. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा विशाला
10. शाखा प्रबंधक, एसबीबीजे शाखा भादरेस

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 749 दिनांक 08.02.1983 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थिति :–
1. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
3. श्री पुरूषोतम सोलंकी, अधिवक्ता, रेस्पो. सं. 9 की ओर से उपस्थित।
4. श्री भवानीसिंह, अधिवक्ता रेस्पो. सं 2 से 7 की ओर से उपस्थित।
5. शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:26:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 10.05.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम विशाला के नामान्तरकरण सं. 749 पर तहसीलदार बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.02.1983 के विरूद्ध दिनांक 18.09.2019 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा विशाला के खसरा नम्बर 628, 632, 635 एवं 627 कुल रकबा 422–15 बीघा भूमि पीरा, पदमा, सोना, गुणेशा, चतरू पि0 जीया जमनी पत्नी जीया 1/2 जमना पत्नी खुशाला 1/4 जोगा उदा पि0 मेहरा ना0 वली जमना पत्नी खुशाला 1/4 कौम जाट सा0 देह सह खातेदारान के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त खातेदारान में से खातेदार पीरा के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 749 में मृतक पीरा के लाऔलाद फोत होना अंकित कर उसके वारिसान में उसके भाई व माता को ही मान कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 08.02.1983 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 18.09.2019 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा विशाला के खसरा नम्बर 628, 632, 635 एवं 627 कुल रकबा 422–15 बीघा भूमि पीरा, पदमा, सोना, गुणेशा, चतरू पि0 जीया जमनी पत्नी जीया 1/2 जमना पत्नी खुशाला 1/4 जोगा उदा पि0 मेहरा ना0 वली जमना पत्नी खुशाला 1/4 कौम जाट सा0 देह सह खातेदारान के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त खातेदार पीरा के फोत होने पर उनके वारीसान के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 749 हल्का पटवारी द्वारा दायर किया गया। उक्त नामान्त[illegible] अपीलांट का नाम पीरा के वारिस के रूप में दर्ज [illegible] एवं मां के नाम से गलत अंकन कर दिया ज[illegible] पीरा की बेवा के रूप में प्रथम श्रेणी की वारिस है। अपीलांट को अपील[illegible] नामान्तरकरण संख्या 749 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:26:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई तथा अपीलांट अनपढ़ ग्रामीण महिला होने से उसे स्वमेव जानकारी नहीं हुई। अपीलांट का विवादित भूमि में 1/10 हिस्सा विरासत के तौर पर प्राप्त है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में कानूनी भूल की है जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि धारा 121 से 126 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत किसी फौतगी नामान्तरकरण कार्यवाही में मृतक के विधिक वारिसों की सम्पूर्ण जांच करना तथा जांच उपरान्त प्रत्येक हितबद्ध को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रावधान विहित किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पीरा के वारिसों की कोई जांच की गई और न ही अपीलांट को नोटिस देकर विवादित भूमि के मौके का निरीक्षण किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एकतरफा होने से भी खारिज योग्य है।

6. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि वर्तमान में अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का बंटवाडा करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 को कहा तो बताया कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में आपका नाम दर्ज नहीं है। इस पर अपीलांट को अपने हक–हकूक संशयप्रद लगे तो हलका पटवारी से रेकर्ड की जानकारी की तथा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की गई जो दिनांक 06.09.2019 को प्राप्त हुई। इस पर अपीलांट को सर्वप्रथम सपूर्ण जानकारी होने से यह अपील सम्यक तत्परता से पेश की गई है। साथ ही अपील पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। अतः अपीलांट की अपील अंदर मयाद शुमार करते हुए उल्लेखित आधारों स्वीकार फरमाई जावे।

7. रेस्पोडेंट सं. 2 से 7 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह अपील [illegible] मयाद बाहर है तथा विलम्ब के संबंध में प्रस्तुत शपथ–पत्र में कोई उचित कारण प्रकट नहीं किया गया है। लिहाजा अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:26:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा विशाला के खसरा नम्बर 628, 632, 635 एवं 627 कुल रकबा 422–15 बीघा भूमि पीरा, पदमा, सोना, गुणेशा, चतरू पि0 जीया जमनी पत्नी जीया 1/2 जमना पत्नी खुशाला 1/4 जोगा उदा पि0 मेहरा ना0 वली जमना पत्नी खुशाला 1/4 कौम जाट सा0 देह सह खातेदारान के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त खातेदारान में से खातेदार पीरा के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 749 में मृतक पीरा के लाऔलाद फोत होना अंकित कर उसके वारिसान में उसके भाई व माता को ही मान कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 08.02.1983 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 18.09.2019 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अपीलाधीन आदेश पारित होने के 36 वर्ष की लम्बी समयावधि के बाद प्रस्तुत की गई है। इतनी लम्बी समयावधि के दौरान अपीलांट को विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा मयाद के संबंध में न्यायिक निर्णय नजीर 2009(1)आरआरटी468 प्रस्तुत की है जिसमें निर्धारित किया गया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व मृतक खातेदार के वंशजों/उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, ऐसे में असाधारण विलम्ब को माफ करने में कोई त्रुटि नहीं है। इसी प्रकार का अभिमत न्यायिक निर्णय नजीर 2013(1)आरआरटी 473 में भी दिया गया है। हस्तगत अपील की परिस्थितियों पर विवेचन से पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण वर्ष 1983 में पारित किया गया तथा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य मतदाता सूची की प्रतिलिपि अनुसार अपीलांट की आयु करीब 54 वर्ष रही है तथा इस आयु में व्यक्ति अपने हित–अधिकार के बारे में भली–भांति रूप से जागरूक माना जा सकता है। इसके बावजूद भी मयाद के संबंध में यह सुस्थापित न्यायिक सिद्धान्त है कि विलम्ब का प्रतिदिन का कारण ठोस एवं तर्क–संगत रूप से प्रकट करना बाध्यकारी है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा स्वयं ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होना प्रकट किया जो किसी भी रूप में विलम्ब के शमन का आधार नहीं हो सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:26:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर है तथा विलम्ब के संबंध में ठोस कारणों के अभाव में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

10. निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:26:10 IST
Reason: SelfAttested